आवंटी

IS 15700:2005

सेवोत्तम प्रमाणित

# उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
## कार्यालय वास्तुविद् नियोजक
वास्तुकला एवं नियोजन इकाई–7
नीलगिरी काम्पलैक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ

पत्र सं0– 1020 / वा0नि0–7 / नि0प्रा0-10/2016-17 दिनांक–13/4/17

**उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम–1965 के अन्तर्गत भवन बनाने हेतु स्वीकृति–पत्र**

सेवा में,

श्री मोहनलाल गुप्ता,
E/GP-2, योजना सं0–3,
कल्याणपुर, कानपुर।

विषयः–ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं0 : E/GP-2, योजना संख्या–3, अम्बेडकरपुरम्, कानपुर के मानचित्र स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं0 : E/GP-2, योजना सं0–3, अम्बेडकरपुरम्, कानपुर में निर्माण करने संबधी आपके आवेदन पत्र दिनांक 03.04.2017 के क्रम में नि0प्रा0 आदेश रजिस्टर संख्या–10/16–17 के अनुसार एवं दिनांक 31.01.2017 को आवास आयुक्त (म0) की अध्यक्षता में संपन्न उच्च स्तरीय समिति की बैठक में प्रदान किए गए अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित शर्तो के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती हैः–

1. निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा।
2. स्वीकृत मानचित्र की अवधि पाँच वर्ष की होगी। दिनांक 13-4-17 से 12-4-2022 तक।
3. निर्माण, स्वीकृत मानचित्र पर लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
4. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–17, उ0प्र0 आवास विकास परिषद, कानपुर को निर्माण प्रारम्भ करने से 14 दिन पहले देनी होगी।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्पत्ति प्रबंधक से समयावृद्धि प्रमाणक प्राप्त करना होगा।
6. यह स्वीकृति बेसमेंट + स्टिल्ट + 07 तल तथा ममटी हेतु प्रदान की जाती है।
7. यह स्वीकृति 12910.53 वर्गमीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिए 4705.74 वर्गमीटर के भूखण्ड में प्रदान की गयी है। भविष्य में आप द्वारा इससे अधिक निर्माण क्षेत्रफल की मांग नहीं की जायेगी और यदि की जाती है तो कुल निर्माण क्षेत्रफल पर तत्समय लागू नियमों के अन्तर्गत पार्किंग की सुविधा, अग्निशमन सुरक्षा सम्बंधी प्राविधान एवं स्ट्रक्चरल सुरक्षा का प्राविधान किया जाना होगा। स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति संलग्न है।
8. भूखंड के अन्दर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्धारित स्थान में वाहनों को खड़ा करेंगे, जिससे कि बगल के भवनों/भूखंडों का मार्ग/आवागमन अवरूद्ध न हो। यदि पार्किंग के कारण मार्ग अवरूद्ध होता है तो उसकी जिम्मेदारी आवंटी की होगी।
9. भूखण्ड के सामने कोई बोर्ड आदि लगाकर मार्ग अवरूद्ध नहीं किया जायेगा।

क्रमशः–2

Scanned by CamScanner

10. मुख्य अग्निशमन अधिकारी के पत्र संख्या– 2017/27913/के0एन0सी0/कानपुर नगर/681/सी0एफ0ओ0/दिनांक 25.03.2017 द्वारा निर्गत प्रोवेजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण–पत्र में अंकित शर्तों के अनुक्रम में अनुज्ञा निर्गत की जा रही है। भवन के स्थल पर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्मित हो जाने के उपरान्त मुख्य अग्निशमन अधिकारी से उक्त निर्मित भवन के सापेक्ष अंतिम रूप से निर्गत अग्निशमन सुरक्षा संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना होगा, जिसके उपरान्त ही पूर्णत प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने पर विचार किया जा सकेगा।
11. यदि परिषद द्वारा किसी समय यह पाया गया कि भवन में हो रहे क्रियाकलाप से क्षेत्र के निवासियों को कोई असामान्य कठिनाई हो रही है तब उस क्रियाकलाप को रोकने/हटाने हेतु परिषद के निर्देशों का पालन किया जायेगा।
12. शासनादेश के अनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।
13. शासनादेश के अनुसार वृक्षारोपण का प्राविधान करना होगा।
14. समय–समय पर शासन द्वारा निर्गत निर्देश मान्य होंगे।
15. वैकल्पिक सौर ऊर्जा प्राप्त करने हेतु व्यवस्था का प्राविधान भी किया जाना होगा।
16. शासनादेश के अनुसार स्थल पर रोपित वृक्षों के रखरखाव व उनके जीवित रहने हेतु व्यवस्था आवंटी द्वारा सुनिश्चित करना अनिवार्य है।
17. शासनादेश के अनुसार भूकम्परोधी प्राविधानों/शर्तों का शत–प्रतिशत पालन करना अनिवार्य है जो एक मानचित्र के पृष्ठ भाग पर चस्पा की गयी है।
18. निर्माण स्थल पर स्वीकृत मानचित्र का डिस्प्ले ऐसे स्थान पर किया जायेगा कि उसे जन–सामान्य के द्वारा सुगमतापूर्वक अवलोकित किया जा सके तथा डिस्प्ले बोर्ड पर अनुज्ञा अवधि, वास्तुविद व स्ट्रक्चरल इंजीनियर का नाम अंकित होना अनिवार्य है।
19. भवन के उपयोग से पूर्व परिषद से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

<u>संलग्नकः</u>

1. आर्किटैक्चरल मानचित्रों का एक सैट। ( 13 नग )
2. स्ट्रक्चरल डिजाइन्स का एक सैट। ( 17 नग )
3. स्ट्रक्चरल गणना का एक सैट। ( 201 नग )
4. अग्निशमन मानचित्रों का एक सैट। ( 13 नग )

भवदीय

(अरविन्द देव) 13/04
वास्तुविद नियोजक

पृ0सं0: /उक्त/ दिनांक :

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ वृत्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, कानपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड– 17, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, कानपुर का उपरोक्तानुसार स्वीकृत मानचित्रों के एक सेट सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सम्पत्ति प्रबंधक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, कानपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
4. मुख्य अग्निशमन अधिकारी, फजलगंज, कानपुर को उपरोक्तानुसार स्वीकृत मानचित्रों के एक सेट एवं प्रपत्र–च सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

**<u>संलग्नकः– यथोक्त।</u>**

वास्तुविद नियोजक

Scanned by CamScanner

## कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, कानपुर नगर

पत्रांकः 2017/27913/केएनसी/का0न0/681/सीएफओ दिनांकः मार्च 25 2017

सेवा में,

स्वामी/प्रबन्धक,
मेसर्स एलायंश बिल्डमोर प्रा0लि0,
प्लाट सं0 ई/जीपी–2 स्कीम नं0 3 अम्बेडकरपुरम,
कानपुर नगर।

विषयः मेसर्स एलायंश बिल्डमोर प्रा0लि0 द्वारा प्लाट सं0 ई/जीपी–2 स्कीम नं0 3 अम्बेडकरपुरम् कानपुर नगर में प्रस्तावित आवासीय बहुमंजिली भवन निर्माण हेतु अग्निशमन प्रोविजिनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किऐ जाने के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र दिनांकित 24.3.2017 का सन्दर्भ लें, जिसके द्वारा प्लाट/खसरा सं0 ई/जीपी–2 स्कीम नं0 3 अम्बेडकरपुरम् कानपुर नगर में प्रस्तावित आवासीय बहुमंजिली भवन निर्माण हेतु इस कार्यालय के समांक पत्र दिनांकित 03.3.2017 में दर्शायी गयी कमियों का निवारण कर भवन के संशोधित मानचित्र प्रस्तुत करते हुए उक्त प्रस्तावित स्थल का पुनः अग्नि सुरक्षा के दृष्टिकोण से निरीक्षण कर अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी प्रोविजिनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने की अपेक्षा की गई है।

प्रश्नगत भवन के प्रेषित संशोधित मानचित्रों एवं अभिलेखों के आधार पर स्थलीय निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी फजलगंज कानपुर नगर द्वारा कराया गया। निरीक्षणोपरान्त दिनांकः 25.3.2017 को उपलब्ध कराई गयी आख्या व मानचित्रों का सुसंगत मानकों के अनुसार परिशीलन किया गया, आख्या विन्दुवार निम्नवत है:–

**भवन की संरचना :–**

1– कुल भूखण्ड एरिया–4705.74 वर्गमी0।

1. भूतल/स्टिल्ट का कवर्ड एरिया 1611.35 वर्गमी0।
2. प्रथम तल का कवर्ड एरिया– 855.06 वर्गमी0
3. द्वितीय तल का कवर्ड एरिया– 1223.67 वर्गमी0
4. तृतीय तल का कवर्ड एरिया–1223.67 वर्गमी0
5. चतुर्थ तल का कवर्ड एरिया–1223.67 वर्गमी0
6. पंचम तल का कवर्ड एरिया–1223.67 वर्गमी0
7. छठें तल का कवर्ड एरिया–1223.67 वर्गमी0
8. सातवें तल का कवर्ड एरिया–905.05 वर्गमी0
9. गार्डरूम, मम्टी, मशीन रूम का कवर्ड एरिया–136.56 वर्गमी0
10. बेसमेन्ट प्रथम का कवर्ड एरिया– 2944.58 वर्गमी0
11. भवन की ऊँचाई 23.74 मी0

**भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड श्रेणी–** प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन0बी0सी0 की आवासीय भवन की श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

**ढॉचागत व्यवस्था :–**

1. **पहुँच मार्ग–** भूखण्ड के सामने मानचित्रों में 24.00 मीटर रोड की चौडाई है।
2. **प्रवेश द्वार की चौडाई–** 4.50 मी0 के 02 प्रवेश/निकास द्वार हैं जो मानक के अनुसार है।
3. **सैटबैक –** प्रस्तावित भवन का सेटबैक निम्नवत है:–
   **ए– अग्रभाग– 11.00 मी0**
   **बी– पृष्ठभाग– 11.00 मी0**
   **सी– पार्श्व भाग प्रथम– 11.00 मी0**
   **डी– पार्श्व भाग द्वितीय–11.00 मी0**
   उपरोक्तानुसार भवन के सेटबैक भवन विनियमावली के अनुसार है। सेटबैक सदैव अवरोधमुक्त रखे जायेंगें। सेटबैक में किसी प्रकार का स्थाई/अस्थायी निर्माण कार्य मान्य नहीं होगा।
4. **निकास मार्ग–** भवन में बेसमेन्ट से स्टिल्ट फ्लोर तक 06 स्टेयरकेस 1.52 मी0 चौडाई तथा प्रथम तल से सातवें तल तक कुल 4 स्टेयरकेस 1.52 मी0 चौडाई के प्रस्तावित हैं तथा 04 लिफ्ट का प्राविधान किया

Scanned by CamScanner

गया है। इसके अतिरिक्त बेसमेन्ट में 02 रैम्प 4.57 मी0 चौडाई के मानचित्र में प्राविधानित हैं जिनकी फ्लोर व समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है।

5. रिफ्यूज एरिया का विवरण– शून्य

<u>अग्नि सुरक्षा व्यवस्था :–</u> नेशनल विल्डिंग कोड आफ इण्डिया–2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाएं पूर्ण की जानी अनिवार्य है:–

1. **भूमिगत टैंक–** भूमिगत टैंक आवश्यक नहीं है।
2. **पम्प–** आवश्यक नहीं है।
3. **होजरील –** भवन में होजरील लैण्डिंग वाल्व आई0एस0 3844 मानकों के अनुसार आवश्यक है।
4. **डाउनकमर–** एन0बी0सी0 2005 के मानकों के अनुसार प्रत्येक स्टेयरकेस के पास आवश्यक है।
5. प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन परिसर में यार्ड हाइड्रेन्ट्स होज केबिनेट एवं उसमें डिलीवरी होज तथा ब्रान्च पाइप एवं इन्लेट का प्राविधान आवश्यक नहीं है।
6. **हस्ताचालित इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम–** मैनुअल आपरेटेड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम का प्राविधान एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार आवश्यक है।
7. **स्वचालित डिटेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टम–** आवश्यक नहीं है।
8. **स्वचालित स्प्रिंकलर सिस्टम–** बेसमेन्ट में आटोमैटिक स्प्रिंकलर सिस्टम एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार आवश्यक है।
9. **टैरेस टैंक–** प्रश्नगत भवन की टेरिस पर 25000 ली0 क्षमता का टेरिस टैंकस्थापित कराया जानाआवश्यक है।
10. **टैरेस पम्प–** टेरेस टैंक के पास 900 एलपीएम क्षमता का टेरेस पम्प का प्राविधान आवश्यक है।
11. **प्राथमिक अग्निशमन उपकरण(फायर एक्सटिंग्यूशर)–** भवन में फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0–2190 के अनुसार प्राविधान कराया जाना आवश्यक है।
12. **स्मोक एक्सट्रेक्शन सिस्टम–** स्मोक एक्सट्रेक्शन सिस्टम– आवश्यक है
    - ए– बेसमेंट में स्मोक चेम्बर का प्राविधान किया जाये जिससे बेसमेंट का धुऑं ऊपरी तलों में न जा सके।
    - बी– सिस्टम की मैकअप एयर हेतु व्यवस्था –आवश्यक है।
    - सी– स्मोक रिज़र्व वायर एवं अनुमानित स्मोक लेयर आदि को आधारित करते हुए एक्सट्रेक्शन सिस्टम का तकनीकी विश्लेषण–आवश्यकता नहीं है।
    - डी– बेसमेंट में स्मोक एक्सट्रेक्शन हेतु 12 बार प्रति आवर स्मोक एक्सट्रेक्शन प्रणाली का प्राविधान किया जाये।
13. **प्रेशराइजेशन प्रणाली–**
    1. लिफ्ट में प्रेशराइजेशन प्रणाली का प्राविधान किया जाये।
    2. प्रेशराइजेशन सिस्टम, डिटेक्शन से इण्टरलॉकिंग– आवश्यक नही है।
14. **एक्जिट साइनेज–** सम्पूर्ण भवन में एक्जिट साइनेज स्थापित किया जाना आवश्यक है।
15. **पी0ए0 सिस्टम–** पी0ए0 सिस्टम की व्यवस्था सम्पूर्ण भवन में प्राविधानित करायी जानी आवश्यक है।
16. बेसमेन्ट का प्रयोग पार्किंग के रूप में किया जाना प्रस्तावित है।
17. सेटबैक में पडने वाली बेसमेंट स्लैब की लोड वेयरिंग क्षमता 45 टन की होना आवश्यक है जिसका प्रमाण पत्र पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करते समय किसी कार्यदायी संस्था से उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।

अतः अग्निशमन अधिकारी फजलगंज, कानपुर नगर की संस्तुति के आधार पर उपरोक्तानुसार प्लाट सं0 ई/जीपी–2 स्कीम नं0 3 अम्बेडकरपुरम् कानपुर नगर में प्रस्तावित आवासीय बहुमंजिली भवन निर्माण हेतु अग्निशमन प्रोविजिनल अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा भवन में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्रस्तावित प्राविधान भवन विद्ययमावली तथा एन0बी0सी0 2005 में उल्लेखित मानकों के अनुसार कराये जायेगें तथा भवन के निर्माणोपरान्त प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थायें मानकों के अनुसार भौतिक रूप से स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अन्तिम अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु प्रोविजिनल अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नःअनुमोदित मानचित्र।

25-3-17

(वी0पी0सिंह)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
कानपुर नगर

<u>प्रतिलिपिः</u>–अग्निशमन अधिकारी, फजलगंज को उनकी आख्या के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

Scanned by CamScanner